(164)

संख्याः—पी.सी.एच—एच.सी(10)5 पं0घर—वोल0—2 —77405-77414

अति—आवश्यक
व्यक्तिगत ध्यानार्थ

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश ।
शिमला—9 3 नवम्बर, 2017

विषयः— पंचायत घर निर्माण हेतू धन राशि स्वीकृत करने बारे दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय में पंचायत घर निर्माण के लिए अनुदान राशि स्वीकृत करने हेतू आपके कार्यालय व ग्राम पंचायतो से सीधे तौर पर प्रस्तावनाएं प्राप्त हो रही है जिसमें अधिकतर प्रस्तावनाएं इस कार्यालय के पत्र संख्या पी0सी0एच0 एच सी0 (10)5/2011—पं0 घर—वोल—12—13135 13147 दिनांक 09.05.2017 में जारी दिश निर्देशों के अन्तर्गत वांछित औपचारिकताऐं पूर्ण नही की जा रही है अतः आपसे अनुरोध है कि, भविष्य मे उक्त पत्र के अन्तर्गत जारी दिश निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना की जाए।

उक्त के अतिरिक्त आपको यह भी सूचित किया जाता है की ग्राम पंचायत कार्यालयों का निम्न अनुसार आधार ढांचा होना आवश्यक हैः—

1. पंचायत बैठक कक्ष, पेंटरी/रसोई कक्ष सहित
2. पंचायत प्रधान (कार्यालय कक्ष)
3. पंचायत सचिव (कार्यालय कक्ष)
4. स्टोर कक्ष
5. शौचालय पुरूष व महिला
6. ग्राम रोजगार एंव तकनीकी सहायक तथा अन्य कर्मचारियों हेतू (कार्यालय कक्ष)
7. विभिन्न विभागो की गतिविधियां हेतू (कक्ष)
8. केबल/ओ0एफ0सी0 तथा व्यवसायिक सिलाई केन्द्र (कक्ष)

प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में कम से कम उपरोक्त दर्शाये गये कमरों का पंचायत घर होना आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले के अधीन पड़ने वाली ग्राम पंचायतो में से सर्व प्रथम ऐसी ग्राम पंचायतों की पहचान करें जिन में अपना पंचायत घर नही है इसके उपरान्त ऐसी पंचायतो का चयन करें जिनमें उपरोक्त दर्शाया गया आधार भूत ढांचा उपलब्ध नही है

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आप सर्वप्रथम प्राथमिकता पंचायत घर रहित पंचायतो में पंचायत घर निमार्ण को दे तथा दूसरी प्राथमिकता में अतिरिक्त कमरो के निमार्ण हेतु मामले भेजे जाए व अन्त में तीसरी प्राथमिकता ग्राम सभा बैठक हाल निमार्ण को दी जाए जिसहेतू अनुदान स्वीकृती के लिए प्रस्तावना भूमि की उपलब्धता व उन पंचायतो को (2007-08 से अब तक) पूर्व में स्वीकृत अनुदान राशि के विवरण व प्रांकलन तथा पूर्व ढांचे के फोटो सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया जाऐ। ताकि अनुदान स्वीकृत कर पूरे प्रदेश के पंचायत कार्यालय में आधार भूत सुविधा उपलब्ध करवाई जानी सम्भव हो सकें।

इसे अति आवश्यक समझे तथा इन हिदायतो की कढाई से अनुपालना की जाऐं।

भवदीय,

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हि0प्र0 शिमला—9